BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXVI | 17th June, 2015 | No. 11

कोई नयी ट्रेन नहीं, समय पर परिचालन प्राथमिकताः मित्तल

जीएम ने चैम्बर के सदस्यों को दी जानकारी

चैम्बर के सदस्यों को सम्बोधित करते पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री ए. के. मित्तल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री दीपक नाथ। बाँयीं ओर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री महबूब रब एवं अन्य।

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ए. के. मित्तल ने कहा है कि फिलहाल कोई भी नयी ट्रेन देने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान प्राथमिकता है कि ट्रेनों का परिचालन सुचारु रहे। वह 4 जून 2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पूर्व मध्य रेल विशेष ट्रेन जरूर चलायेगा, दीघा-पहलेजा रेल सह सड़क पुल पर रेल का परिचालन 15 जुलाई तक शुरू हो जायेगा। वहीं जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक बिहटा में स्थापित पीएमटी रैक को शुरू किया जायेगा। जल्द ही मुगलसराय-झाझा के बीच तीसरे लाइन के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि वैगन की अनलोडिंग पर विशेष ध्यान दें। इसमें अधिक समय लग रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि रेलवे रैक की आपूर्ति में देरी के कारण राज्य में सामान की कमी हो रही है। आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि राज्य की लंबित परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू हो। मौके पर मुख्य परिचालन प्रबंधक दीपक नाथ, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक महबूब रब, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरविन्द कुमार रजक, चैम्बर के उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, शशि मोहन, राजकुमार मौजूद थे।

व्यापारियों ने रखी मांगें : • दीघा-पहलेजा एवं मुंगेर-खगड़िया पुल की सड़क का कार्य शीघ्र पूरा हो • मुगलसराय से झाझा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किया जाये • रैक खाली कराने के लिए 15 घंटे का समय मिले • सहरसा, लहेरिया-सराय, बिहारशरीफ में वैकल्पिक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था हो • पटना से मुम्बई, राँची, लखनऊ, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एवं हैदराबाद के बीच दूरंतो चले • पटना-कोचीन एक्सप्रेस को प्रतिदिन और इसे सुपर फास्ट बनाया जाये।

(प्रभात खबर, 5.6.2015)

चैम्बर अध्यक्ष उद्योग मित्र के निदेशक पर्षद में नामित

सहर्ष सूचित करना है कि उद्योग विभाग के उद्योग मित्र के निदेशक पर्षद में अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को नामित किया गया है।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

मेरे नये प्रयास ''अध्यक्ष की कलम से'' की आप सबों ने सराहना की, यह जानकर प्रसन्नता हुई। कुछ मित्रों ने फोन किया, कुछ ने SMS किया, कुछ ने Whats App पर तथा कुछ ने E-mail से अपनी भावना का इजहार किया। मैं आप सबों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

आप सब को पता है कि आगामी वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से वस्तु एवं सेवा-कर (GST) लागू होगा, इसकी बहुत उम्मीद बढ़ गई है। लोक सभा में यह पारित हो गया है और आशा है कि राज्य सभा एवं राज्यों से होता हुआ यह महामहिम राष्ट्रपति के पास इस वर्ष के अन्त तक अवश्य पहुँच जायेगा।

इस बार 36 नव-नियुक्त वाणिज्य-कर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन उन्हें चैम्बर कार्यालय में सरकार द्वारा भेजा गया और व्यवसायियों से परिचर्चा तथा विस्तृत विचारों का आदान-प्रदान हुआ। कतिपय वरीय सदस्यों ने उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सभी ने इसकी सराहना की। नवनियुक्त अधिकारी इस बैठक से व्यापारियों की रोजमर्रे की परेशानियों को समझेंगे और वे व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तथा व्यवसायी भी निर्बाध रूप से अपना कारोबार कर सकेंगे। इस प्रकार व्यापारी-पदाधिकारी के आपसी सहयोग से व्यवसायियों को व्यवसाय में सुविधा होगी और राज्य का राजस्व निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

दिनांक 1 जून, 2015 से सर्विस टैक्स 14% हो गया है। इससे समाज के सभी स्तर के नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ा, यह चिन्तनीय विषय है तथा यह जनता पर अनावश्यक बोझ साबित होगा।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा सिंडिकेट बैंक के मेगा ऋण शिविर का उद्घाटन

मेगा ऋण शिविर का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं बैंक के एजीएम श्री पी. के. एस. चौधरी एवं अन्य।

सिंडिकेट बैंक की ओर से दिनांक 26 मई, 2015 को मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं बैंक के उप महाप्रबंधक श्री पी. के. एस. चौधरी ने किया। शिविर में 32 आवेदकों को करीब तीन करोड़ रूपये के ऋण दिए गए। मौके पर पटना मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री विश्वनाथ दास, क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री रमेश कुमार, श्री पी. सी. पति सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

व्यापारी-अफसर के तालमेल से बढ़ेगा राजस्व

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी बाँयीं ओर वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (सेवानिवृत्त) श्री प्रह्लाद बैठा। दाँयीं ओर चैम्बर के वैट उप-समिति के चेयरमैन श्री डी. बी. गुप्ता एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल।

राज्य का लगभग 70 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य कर विभाग से आता है और यह तभी संभव है जब विभाग के अधिकारी एवं व्यवसायी दोनों के बीच अच्छा तालमेल हो। यह बात बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कही। दिनांक 29 मई 2015 को चैम्बर में वाणिज्य-कर विभाग के 36 नव नियुक्त वाणिज्यकर पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि अगर विभाग के अधिकारी पुलिस की तरह व्यवहार कर व्यापारी को जेल भेजना शुरू कर देंगे तो राजवस्व कहाँ से आएगा? दोनों की पार्टनशिप राज्य के राजस्व को अच्छी ऊंचाई पर ले जा सकता है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है।

बिहार में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टैक्स की विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्हें नियमित टैक्स प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अगर कोई व्यापारी जागरूकता के अभाव में समय पर टैक्स नहीं दे पाता है, तो इसका यह मतलब यह नहीं है कि वह टैक्स की चोरी कर रहा है।

विभाग के सेवानिवृत अपर आयुक्त प्रहलाद बैठा ने बताया कि व्यापारी एवं अधिकारी दोनों एक-दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर व्यापारियों का कारोबार बढ़ता है तो निश्चित रूप से राज्य का राजस्व बढ़ेगा।

मौके पर वाणिज्य कर एवं आयकर अधिवक्ता एवं चैम्बर के वैट उपसमिति के चेपरमैन डी. बी. गुप्ता, शशि मोहन, राजा बाबु गुप्ता, ए. के. पी. सिन्हा आदि सहित नव नियुक्त वाणिज्य-कर अधिकारी मौजूद थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.5.2015)

Industry mulls political situation, anxious of future

Lack of clarity on the political scenario, ahead of the assembly polls, is a matter of concern for all stakeholders, particularly those involved in trade and industrial activities in the state.

For, the common thread running behind the disquiet is whether the development momentum, currently showing signs of pre-election slowdown in construction and investment flows, would continue after the elections results or not, should there be a change in government.

President of Bihar Chamber of Commerce and Industries O. P. Sah believes, "The fate of Bihar, its development and growth all depend on the election results. whether Bihar will have a good, visionary and business friendly government is cause of worry for all stakeholders, who want a conducive atmosphere of stability and development to continue. " he adds.

While the BCCI President pitches for completion of polls in two phases to minimise the loss to trade, transport, industry and development activities. **(Source : Hindustan Times, 31.5.2015)**

विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं व्यापारियों की निगाहें

आने वाले विधान सभा चुनाव में राज्य के विकास को लेकर व्यापारियों में काफी उम्मीदें हैं। चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन चुनावी घोषणा होते ही व्यवसायियों के दिल की धड़कने बढ़ गई हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि छह महीने बाद बिहार का माहौल कैसा होगा। वैसे व्यापारियों का मानना है कि बिहार में अब जो भी सरकार बनेगी, वह विकास का ही रास्ता अपनाएगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह का कहना है कि किसी भी सरकार की स्थिरता से कारोबारियों को काफी फायदा होता है। पिछले 10 वर्षों में बिहार में जो विकास की पॉलिसी अपनाई गई है, वह किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए। वैसे अब कोई भी सरकार आएगी तो वह भी विकास का ही रास्ता अपनाएगी, भले ही रास्ता कुछ अलग हो। हाँ, यह बिलकुल सही बात है कि बिजली के बिना उद्योग लगाना असंभव है, लेकिन कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से बिजली के कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है, वह रुकनी नहीं चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.5.2015)

राज्य सहयोग करे तो 30 तक चालू हो जायेगा दीघा पुल

बिहारी में रेल सुविधाओं के अधिकारिक विस्तार के लिए रेल मंत्रालय कटिबद्ध है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग बेहद जरूरी है। इस बजट में बिहार में गंगा नदी पर पटना एवं मुंगेर में निर्माणाधीन रेल-सह-सड़क पुल के लिए पर्याप्त राशि आवंटित किया गया है ताकि दोनों परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। राज्य सरकार अगर सहयोग करे तो 30 जून तक पटना में गंगा नदी पर बन रहे पुल को चालू किया जा सकता है।

ये बातें रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 4 जून 2015 को पटना जंक्शन के करबिगहिया छोर पर आयोजित रिटायरिंग रूम एवं वेटिंग रूम के उद्घाटन के मौके पर कही। रेल मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि पटना जंक्शन पर यात्री सुविधा में और भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही यहाँ वाईफाई एक्सक्यूटिव लांज तथा चार और एकस्लेटर लगाये जाएंगे। रेल राज्य मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि पटना जंक्शन के करबिगहिया की तरफ विश्रामालय एवं प्रतीक्षालय की कमी लगातार महसूस की जा रही थी। वर्ष 2013-14 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और यह आज से यात्रियों के लिए यह उपलब्ध है। 50 लाख रुपये की लागत से इस नवनिर्मित परिसर में आठ विश्रामालय तथा एक बड़ा प्रतीक्षालय है। जिसमें 100 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। इससे पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय एवं स्नागार की सुविधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान मोकामा ब्रिज के अलावा मोकामा में गंगा नदी पर एक और रेल पुल का निर्माण किया जायेगा जिसकी स्वीकृति रेल बजट में दी गयी है और भूतल परिवहन मंत्री से इस पर सड़क पुल के लिए भी अनुरोध कर इस पर कार्य स्वीकृत करा लिया गया है। इस प्रकार मोकामा में वर्तमान पुल के साथ ही एक और रेल सह सड़क पुल हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तम्भ है। हम रेलों पर संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन में सुधार के साथ-साथ यात्री सुविधा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। रेल यात्री रेल के केन्द्र बिन्दु हैं एवं रेल उन्हीं के सुख-सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है। रेल नेटवर्क के विकास एवं विस्तार के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। रेलवे यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री की भी इसके विकास में गहरी रूची है। रेल के कायाकल्प के लिए पाँच वर्षों की एक कार्य योजना बनायी गयी है जिसमें 8.5 लाख करोड़ की राशि निवेश की जायेगी जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यात्री सुविधा के क्षेत्र में मदद के लिए प्राइवेट क्षेत्र एवं कारपोरेट घरानों को आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुगलसराय-इलाहाबाद-दिल्ली रेल मार्ग काफी व्यस्त होने के कारण गड़ियां लेट हो जाती हैं। इस समस्या के निदान हेतु इलाहाबाद-मुगलसराय के बीच तीसरी रेल लाईन परियोजना की स्वीकृती दी गयी है।

समारोह को संबोधित करते हुये रामकृपाल यादव, माननीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मुगलसराय से मोकामा तक तीसरी रेल लाइन की आवश्यकता जतायी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाटलीपुत्र स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाये ताकि पटना जंक्शन पर बढ़े रहे दबाव को कम किया जा सके। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.6.2015)**

माल ढुलाई को बनाया जाएगा सुविधायुक्त

रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा के तहत् पूर्व मध्य रेल द्वारा यात्री सुविधा एवं अन्य विषयों पर नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 जून 2015 को महेन्दू घाट, पटना के सम्मेलन कक्ष में 'ग्राहक संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक ए. के. मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी में रेल से जुड़ी विभिन्न औद्योगिक इकाईयों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया एवं इसके सुधार के लिए सुझाव दिया।

गोष्ठी के दौरान महाप्रबंधक श्री मित्तल ने माल ग्राहकों के साथ विचार विमर्श किया एवं उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा माल ग्राहकों को रेल के साथ वृहत्त स्तर पर जुड़ने के लिए आमंत्रण भी दिया साथ ही उन्हें रेल के माध्यम से माल वहन को सुविधायुक्त बनाने के लिए हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया।

इससे पहले गोष्ठी का उद्घाटन करते हुये मुख्य वाणिज्य प्रबंधक महबूब रब ने कहा कि रेलवे एवं रेल माल उपभोक्ताओं के बीच नियमित रूप से ऐसी गोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए। इस गोष्ठी में एसीसी सिन्द्री सीमेंट, हिडालको/रेणुकूट, बांगर सीमेंट, रक्सौल के विभिन्न व्यवसाइयों के अतिरिक्त प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधिगण शामिल हुए एवं अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

पूर्व मध्य रेल द्वारा मुख्य रूप से कोयले की दुलाई की जाती है, जिसका कुल लदान में योगदान 91 प्रतिशत था। हाल में रेलवे द्वारा ग्राहको की सुविधा हेतु माल परिवहन को और सुगम बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर प्रोग्राम पर आधारित स्कीम लागू की गयी है। ई-पेमेंट का लाभ भी ग्राहको की भरपूर मिल रहा है। वर्तमान में लगभग 70 ग्राहक ई-पेमेंट से जुड़ चुके हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर भी ग्राहकों एवं किसानों की सुविधा हेतु कई कदम उठाये गये हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.6.2015)**

युवाओं को उद्योग लगाने में मदद को बनी कमेटी

सीएम के निर्देश पर बिहार में चलेगा युवाओं को प्रेरित करने का अभियान

युवाओं को उद्योग लगाने में मदद के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बनी यह कमेटी बिहार में युवाओं को उद्योग लगाने में मदद करेगी। कमेटी में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व श्रम संसाधन सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ को शामिल किया गया है।

बिहार उद्यमी सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को सीएम ने उद्योगपतियों के विचार सुने थे। युवाओं को उद्योग से जोड़ने के मसले पर कई परेशानियां सामने आईं थीं। सरकार के स्तर पर होनेवाली परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम ने कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। उद्योग विभाग की ओर से बनी यह कमेटी राज्य में उद्यमिता विकास पर काम करेगी। उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उसे दूर करने के उपाय भी करेगी। इसके लिए एक रोडमैप बनेगा। कमेटी को बताना होगा कि नए उद्योग लगाने में कौन-कौन सी बाधा आ रही है और उसका निवारण

कैसे व किस स्तर पर किया जा सकता है। पूरे बिहार में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कौन से अभियान चलाए जाएं, इसकी रूपरेखा तय होगी। रोडमैप तैयार करने से पहले कमेटी उद्योगों से जुड़े संगठनों या संबंधित लोगों से विचार-विमर्श करेगी।

रोडमैप भी बनेगा, ये होगा मकसद : • युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी की रूपरेखा बने • नया उद्योग कैसे शुरू करें और उत्पादन कैसे हो, इस पर नीति बनेगी • युवा उद्यमी को कार्यालय की कमी से जूझना पड़ रहा है तो उसे ऑफिस के लिए स्थान कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी नीति बनेगी • युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए सरकार के स्तर पर प्रशिक्षण देने, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रचार करना • राज्य में संस्थागत आधारभूत संरचना तैयार करने पर भी कमेटी काम करेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.5.2015)**

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाएँ / अनुदान

- सभी प्रकार के उद्योगों के स्थापना हेतु भूमि के लीज/बिक्री/ अन्तरण पर स्टाम्प डियूटी एवं निबंघन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट/प्रतिपूर्ति उत्पादन क्षमता में 50% की वृद्धि होने पर उद्योग के विशाखन / विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि पर भी यह सुविघा देय है।
- भूमि के व्यावसायिक उपयोग में सम्परिवर्तन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट।
- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के लिए केन्द्रीय बिक्री कर 1% देय होगा।
- परियोजना प्रतिवेदन शुल्क का 50% प्रतिपूर्त्ति।
- तकनीकी जानकारी शुल्क पर 30% अनुदान।
- पूंजीगत अनुदान 20%
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Quality Certification) शुल्क का 75% अनुदान।
- स्वीकृत विद्युत पावर लोड से 150% तक अधिकतम क्षमता की सीमा तक ग्रीन नेचर डीजल जेनरेटिंग सेट के क्रय मूल्य का 50% अनुदान। विद्यमान इकाइयों को भी 2011 नीति के बाद के क्रय पर अनुदान।
- कैप्टिव पावर प्लांट हेतु प्लाट एवं मशीनरी पर लागत का 20% अनुदान।
- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लागत का 60% अनुदान।
- विद्यमान इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विशाखन के लिए अनुदान।
- औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड/ शेड के मूल्य का 25% से 50% तक अनुदान।
- नई इकाई को 10 वर्षों तक 80% और कार्यरत इकाई को 5 वर्षों तक 25% वैट राशि की प्रतिपूर्ति।
- बन्द एवं रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास एवं इसकी रूग्णता को रोकने के लिए रूग्ण उद्योग पुनर्वास समिति गठित है तथा चक्रीय निधि की व्यवस्था की गई है।
- 7 वर्षों के लिए लग्जरी टैक्स की प्रतिपूर्ति एवं विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट।
- अनुसूचित जाति / जन-जाति, महिला एवं नि: शक्त उद्यमी को 5% अधिक अनुदान।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की मध्यावधि समीक्षा

- वृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन में आने के बाद वैट के साथ-साथ प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूंजी निवेश का 300 प्रतिशत सीमा के अन्दर देय होगा।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा टर्मलोन लेने पर 02% सूद अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति / जनजाति महिला एवं नि:शक्त वर्ग के उद्यमियों को निर्धारित ब्याज दर के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अधिक ब्याज दर के रूप में अनुदान देय होगा।
- वैसी नई इकाइयों जिनका कुल पूंजी निवेश रू. 200.00 करोड़ से कम है, उनके द्वारा सी. एस. टी. मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80% की राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी।

विशेष सूचना के लिए सम्पर्क करें: अद्योग विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना- 800015

Website : http:/industries.bin.nic.in

(साभार : प्रभात खबर, 22.5.2015)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
खाद्य प्रसंस्करण योजना अन्तर्गत नई सुविधाएँ

उद्योग विभाग के तहत खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय अन्तर्गत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत निवेशकों को परियोजना लागत का 35% तथा एस. पी. भी. को 40% तक अनुदान देय है। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं नि:शक्त उद्यमियों को 5% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना को पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त टर्म लोन पर छ: प्रतिशत अनुदान एवं 50 करोड़ या उससे अधिक की परियोजना, लेकिन 100 करोड़ से कम होने पर उन्हें कुल 3% सूद अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

फूडपार्क योजना: इस योजना अन्तर्गत एस. पी. भी. के परियोजना लागत का 30%, अधिकतम 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार के स्तर से देय है। इस योजना के तहत इकाइयों को आधारभूत संरचना के रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग हब, प्राईमरी प्रोसेसिंग सेंटर, कोल्ड चेन नेटवर्क एवं इंजिनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्सन सुपरभिजन कन्सलटेंसी, आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

मेज साइलो : 5000 मे. टन भंडारण के औसत लक्ष्य को मानते हुए 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 70 लाख अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। मकई भंडारण में साइलों का उपयोग करने से जगह की बचत एवं लम्बे समय तक भंडारण संभव हो सकेगा। मेज साइलो निर्माण हेतु योजना की लागत प्रति यूनिट 2 (दो) करोड़ रु अनुमानित हैं।

कोल्ड रटौरेज : 5-10 हजार एम. टी. क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज इकाई को 30% की दर से तथा 10 हजार एम. टी. से अधिक क्षमता वाली इकाई के स्थापना पर 35% की दर से अनुदान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा, दोनों परिस्थिति में 5.00 करोड़ होगी।

राईस मिलिंग आधुनिकीकरण योजना: परंम्परागत तरीके से राईस मिलींग करने से चावल में काफी टूट होती है जिस कारण इकाई को मूल्य संवर्द्धन का लाभ नहीं मिल पाता है। अत: राईस मिलींग आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 15 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान भी देय होगा।

ड्राई वेयर हाउस स्थापना योजना : ड्राई वेयर हाउस आधारित आर. ए. बी. सी. परियोजना के पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का 25% अधिकतम 5.00 (पाँच) करोड़ रुपये अनुदान देय है।

विशेष सूचना के लिए सम्पर्क करें : उद्योग विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना - 800015

Website : http:/industries.bin.nic.in

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
निजी औद्योगिक क्षेत्र योजना

औद्योगिक विकास के क्रम में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकारी स्तर पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निजी औद्योगिक क्षेत्र योजना लागू की गयी है।

- न्यूनतम 25 एकड़ भूमि के सामूहिक स्वामित्व वाले भू-धारी कंपनी एक्ट/ सोसाईटी एक्ट के तहत निर्बंधित Special Purpose Vehicle (SPV) के माध्यम से निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकते है।
- जमीन का मालिकाना हक SPV को हस्तान्तरित करने पर स्टाम्प डियूटी/ निबंधन शुल्क में छूट दिया जायेगा।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने के कार्य यथा-भूमि का विकास, संपर्क पथ, चहारदिवारी, ड्रेनेज, सिवरेज, आंतरिक सड़कें, Street Lighting, विद्युत आपूर्ति, Common Effluent Treatment Plant आदि SPV द्वारा की जाएगी।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना पर राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा 50 (पचास) करोड़ रू. अनुदान दिया जायेगा।
- जमीन आवंटित करने तथा आवंटन दर निर्धारित करने के लिए SPV को स्वायत्तता होगी। • विकसित भूखण्ड का 10 प्रतिशत भू-धारी को आवासीय या व्यावसायिक (कॉमर्शियल हाउसिंग) उपयोग हेतु इनके द्वारा SPV को दिए गए जमीन अनुपात में दिया जाएगा।

विशेष सूचना के लिए सम्पर्क करें : उद्योग विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना- 15 Website : http:/industries.bih.nic.in

(साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया, 27.5.2015)

सब्सिडी की स्वीकृति

कैबिनेट ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 / 2011 के अंतर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 430 करोड़ तीन लाख अस्सी हजार रुपऐ के सब्सिडी की स्वीकृति दी। राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में पाँच लाख रुपए मिलेंगे। **(साभार : आई नेक्स्ट, 27.5.2015)**

विकास कार्यों में कोई रुकावट आए तो नेताओं से कहें अफसर

20 सूत्री कार्यक्रम/कार्यान्वयन समिति की बैठक में विजय चौधरी ने की ताकीद

योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो प्रशासन को जानकारी दें। संबंधित पदाधिकारी इस मामले में जानकारी को अपने स्तर तक सीमित रखते हैं। इससे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देरी होती है। योजना की लागत बढ़ती है। कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को कठिनाई की जानकारी न देने से उन्हें कई बार जनता के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर समय से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तो जन प्रतिनिधि व अनुशंसा करनेवाले सदस्य समस्या दूर करने की दिशा में ठोस प्रयास कर सकेंगे। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 30.5.2015)**

Faced with odds, silk city begins to lose sheen

Mounting odds-such as lack of credit, power shortage and rise in competition from other silk-producing centres in the country-have put silk manufacturers of Bhagalpur, India's so-called Silk City, on the brink.

The ₹ 900 Crore industry in the district produces two million metres of silk a year. It employs around 100, 000 people-who are engaged in separating silk threads from cocoons and spinning the yarn to weave into cloth.

"While silk manufacturing was once a booming business in Bhagalpur, it has lost to new centres such as Bangalore and Ahmedabad," said a top district administration official who didn't want to be identified.

"There are some drawbacks to the co-operative structure (in the industry) as subsidies given by the (Bihar) state government (to silk producing units in Bhagalpur) were siphoned off by some groups," he alleged. He refused to elaborate.

NO LIGHT AT THE END.... • Bhagalpur, which was on the ancient Silk Route that connected India with countries such as China in the east and Europe in the west, is famous for its tussar silk • The ₹ 900 Crore industry produces two million metres of silk a year, employs around 100,000 people • A significant part of silk production in the chronically power starved district is done on power looms that use generators aggravating the problem • Bhagalpuri silk has made its presence felt on fashion ramps with designers like Samant Chauhan making it the fabric of choice showcasing it in Delhi's wills india fashion Week and Singapore Fashion Week • Bihar Institute of Silk and Textile, also lies in utter neglect and teaching at this institute, which used to offer four-year bachelor of engineering degrees in silk and textile technology, has been suspended. **(Detail : Hindustan Time, 31.5.2015)**

कृषि यंत्र बनाने पर 35 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्र बनाने पर औद्योगिक इकाइयों को 35 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। पिछले साल लिए गए निर्णय पर अमल करने के लिए उद्योग विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। खेती में काम आने वाले उपकरणों को बनाने पर उद्योगपतियों को 5 से 15 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि यंत्र बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की सुविधा देने का निर्णय लिया गया था। बीते साल 24 अक्टूबर को विभाग ने निर्णय लिया कि उस नीति पर अमल हो। नीति के प्रभावी होने के बाद कृषि यंत्र बनाने वाली इकाइयों को उनके द्वारा किए गए पूंजी निवेश में कारखाना, भवन, मशीन प्लांट, विद्युतीकरण सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं पर 35 फीसदी का अनुदान निलेगा। छोटे व मध्यम क्षेत्र की इकाइयों को अधिकतम पाँच करोड़ का अनुदान मिलेगा। बड़ी औद्योगिक इकाइयों को 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पेटेंट प्राप्त कृषि यंत्रों के निर्माण पर लघु व मध्यम क्षेत्र की इकाइयों को साढ़े सात करोड़ और बड़ी इकाइयों को 15 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन, इकाइयों को यह अनुदान तभी मिलेगा जब कारखानों से कृषि यंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा।

नई इकाईयों के अलावा पहले की इकाइयां अगर यूनिट का विस्तार करती हैं तो उन्हें भी यह अनुदान मिलेगा। ये इकाइयां अंगर राज्य के कृषि विवि से उपकरणों का परीक्षण कराती हैं तो परीक्षण शुल्क में शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राज्य से बाहर के कृषि विवि से परीक्षण कराने पर शुल्क का 90 फीसदी अनुदान मिलेगा। परीक्षण में सफल नहीं होने पर यह अनुदान नहीं मिलेगा। **(हिन्दुस्तान, 22.5.2015)**

जीएसटी में मुआवजा बढ़ाने की मांग

जीएसटी विधेयक के मौजूदा प्रावधानों में कई बदलाव चाहते हैं राज्यों के वित्त मंत्री

वित्त मंत्री अरुण जेटली को अगले साल अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन राज्य उनके सामने एक के बाद एक मांगें रखते जा रहे हैं। अपनी नई मांग में उन्होंने कहा है कि जीएसटी लागू होने की सूरत में उन्हें कर राजस्व में होने वाले नुकसान की पाँच साल तक 100 फीसदी भरपाई की जाए। इसके अलावा वे तंबाकू पर जीएसटी के अलावा भी अतिरिक्त कर वसूलना चाहते हैं। इसके लिए वे जीएसटी विधेयक में परिवर्तन चाहते हैं।

असल में मौजूदा प्रणाली के तहत राज्यों को कर राजस्व में होने वाले नुकसान की 100 फीसदी भरपाई शुरुआती तीन साल तक करने के लिए केन्द्र तैयार हो गया है। इस व्यवस्था के तहत चौथे साल में राज्यों को कर हानि का 75 फीसदी दिया जाएगा और पाँचवे साल में उनके कर नुकसान की केवल आधी यानी 50 फीसदी भरपाई की जाएगी। लेकिन जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद राज्यों ने पाँचों सालों में 100 फीसदी भरपाई की मांग उठाई है। उनका कहना है कि उनके राजस्व का खयाल रखते हुए केन्द्र को शुरुआती पाँच साल तक राजस्व में हानि का पूरा मुआवजा देना चाहिए। आधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष और केरल के वित्त मंत्री के एम मणि ने बैठक के बाद बताया कि ये मांगें 16 जून को राज्य सभा की प्रवर समिति के सामने रखी जाएंगी।

केन्द्र और राज्यों के बीच रजामंदी के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद देश में कोई भी अन्य कर प्रणाली नहीं रह जाएगी और सभी प्रकार के कर इसी में समाहित हो जाएंगे। लेकिन तंबाकू को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद भी कई राज्य उसे कर से मुक्त करने के पक्ष में नहीं हैं। मणि ने बताया कि आज की बैठक में राज्यों ने मांग उठाई कि जीएसटी के बाद भी तंबाकू पर उन्हें अतिरिक्त कर वसूलने की अनुमति दी जानी चाहिए और दर तय करने का अधिकार भी राज्य के पास ही होना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी वस्तुओं पर खरीद शुल्क वसूला जाता है। इन राज्यों की मांग है कि जीएसटी में खरीद कर को समायोजित नहीं किया जाए यानी जीएसटी के ऊपर खरीद कर भी वसूलने की उनकी मंशा है। हालांकि केन्द्र उनकी इन मांगों का मानने से इनकार कर देता है तब भी जीएसटी लागू होने में देर शायद ही हो क्योंकि जीएसटी कानून के अनुसार इसे लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को 50 फीसदी राज्यों की रजामंदी चाहिए। भाजपा नीत केन्द्र सरकार को कुल 15 राज्यों की मंजूरी की दरकार है और अभी 11 राज्यों में उसकी या उसके सहयोगियों की ही सरकार है।

राज्य और चाहें बदलाव : • केन्द्र शुरुआती 3 साल तक राज्यों को कर राजस्व नुकसान की 100 फीसदी भरपाई को तैयार • 100 फीसदी हानि की पाँच साल तक भरपाई की मांग • तंबाकू पर जीएसटी के अतिरिक्त कर लगाने की मंशा • इस बारे में 16 जून को प्रवर समिति को सौंपी जाएंगी मांग। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2015)**

जीएसटी से बिहार को तीन हजार करोड़ का नुकसान

आपत्ति संशोधन के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री को राज्य सरकार ने लिखा पत्र

वर्तमान स्वरूप में बदलाव करने की मांग, इससे केन्द्र के टैक्स संग्रह में होगा 30 हजार करोड़ का इजाफा • वर्ष 2016 से पूरे देश में लागू होने जा रही है जीएसटी नामक नयी कर प्रणाली

केन्द्र को फायदा : • जीएसटी लागू होने के बाद पाँच लाख करोड़ टैक्स संग्रह • डिविसिव पूल से सभी राज्यों को मिलेगी टैक्स में हिस्सेदारी।

बिहार को नुकसान : • करीब 9-10 फीसदी हिस्सेदारी यानी 2015 के टैक्स शेयर 57 हजार करोड़ से भी कम • करीब 3 हजार करोड़ की सीधे आयेगी कमी

संशोधन के बाद : • उत्पादक राज्य को 1% टैक्स देने के प्रावधान को हटाने पर केन्द्र का टैक्स संग्रह 5 लाख 30 हजार करोड़ होगा • राज्य को भी फायदा

जीएसटी के प्रावधान से इस तरह होगा नुकसान : जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए संविधान 122वां संशोधन करके अनुच्छेद 18 में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत जो उत्पादक राज्य होगा या जिस राज्य में मौजूद कोई फैक्टरी किसी तरह के प्रोडक्ट या उत्पाद का उत्पादन करेगी, वह एक प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स वसूलेगी। यह टैक्स पूरी तरह से खपत आधारित होगा। इस तरह जिस राज्य में फैक्टरी अधिक होगी या कहें जो उत्पादक राज्य होंगे, उन्हें सामान पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त मुनाफा होगा। इससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों, जहाँ फैक्टरी की संख्या नहीं के बराबर हैं और जो उत्पादक राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्पादक राज्यों को केन्द्र से मिलने वाले टैक्स शेयर के अलावा टैक्स में यह अतिरिक्त लाभ होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 30.5.2015)**

आयकर रिटर्न के तीन पन्ने का फॉर्म आसान

वित्त मंत्रालय ने विरोध के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए तीन पन्ने का नया फॉर्म जारी किया। इसमें विदेश यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के विवादास्पद प्रावधान को हटा दिया गया है। यह आईटी आर फॉर्म 14 पन्नों के उस विवादास्पद फॉर्म की जगह लेगा जिसका बहुत विरोध हुआ था। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। वेतनभोगी कर्मियों या जिनकी कोई पेशेवर कारोबारी आय नहीं है उन्हें आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में हर साल 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना होता है। नया आईटीआर- 2ए फॉर्म ऐसा व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार भर सकता है जिनके पास कोई पूंजीगत लाभ, कारोबार या पेशेवर आय नहीं होती है। अब विदेश यात्रा की जगह सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना होगा। निष्क्रिय बैंक खातों का ब्योरा देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 01.6.2015)**

शिकंजा **आयकर विभाग के सवालों का जवाब नहीं दिया तो**

दो लाख तक का जुर्माना

नये कालाधन कानून के तहत अगले वित्त वर्ष से आयकर विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। अघोषित विदेशी आय व आस्ति (कराधान) विधेयक, 2015 में न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा कर अधिकारी विदेशों में जमा संदिग्ध काले धन की जांच के मामले में लोगों से सम्मन या ई-मेल के जरिये नोटिस भेज सकेंगे या फैक्स के जरिये सूचना मांग सकेंगे। यह कानून 1 अप्रैल, 2016 से प्रभाव में आयेगा। अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों की समस्या से निबटने से संबद्ध इस कानून को राज्यसभा ने 13 मई को पारित किया था। इससे दो दिन पहले लोकसभा ने इसे मंजूरी दी थी।

स्थिति साफ करने का अवसर : नये कानून के अनुसार अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा कर उस पर कर व जुर्माना जमा कर अपनी स्थिति साफ-सुथरा करने का एक बार का अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार तारीख व विस्तृत प्रक्रिया को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि यह लघु अवधि का अवसर बंद होने के बाद व्यक्ति को 30 प्रतिशत कर और विदेशी आय या परिसंपत्ति पर बने कर के तीन गुने के बराबर जुर्माना देना होगा। साथ ही उसे आपराधिक अभियोजन का सामना करना होगा। इस मामले में उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है।

क्या है व्यवस्था : • इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के उससे पूछे गये सवालों का जवाब देने में विफल रहता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है • यदि वह व्यक्ति कार्रवाई के दौरान किसी बयान पर दस्तखत करने में विफल रहता है या फिर उसे भेजे गये सम्मन के जवाब में उपस्थित होने या बही खाते अथवा दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराता है, तो भी उस पर जुर्माना लगेगा • किसी भी व्यक्ति को नोटिस, सम्मन या आदेश डाक या कुरियर सेवाओं से भेजी जा सकती है। इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में भी जारी किया जा सकता है • कानून के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पता उपलब्ध कराने के लिए नियम बना सकता है। ये पते इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश के रूप में हो सकते हैं। इनके जरिये संबंधित व्यक्ति को सूचना या आदेश भेजा जायेगा। कोई भी अन्य नोटिस या दस्तावेज कर विभाग द्वारा सत्यापित किया जायेगा • इस कानून के लागू होने से पहले लोगों को विदेश में अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए एक लघु अवधि के लिए अनुपालन हेतु अवसर उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवधि में वे 30 प्रतिशत कर व 30 प्रतिशत जुर्माना अदा कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 1.6.2015)**

'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट' के लिए अध्यादेश

अदालतों में चैक बाउंस होने संबंधी बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। इसमें जहां चेक पेश किया जाता है वहाँ मामला दायर करने का प्रावधान है। इस आशय का संशोधन विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल दी गई एक व्यवस्था को पलटने का प्रावधान किया गया, जिसमें व्यवस्था थी कि मामला वहीं शुरू होना चाहिए जहाँ चेक जारी करने वाली शाखा स्थित है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2015)**

36 सेवाओं का ई-बिज पोर्टल में होगा एकीकरण

व्यापार को सुगम बनाने के मकसद से सरकार ने केन्द्र व राज्य सरकारों की 36 सेवाओं के ई-बिज पोर्टल में एकीकरण का प्रस्ताव किया है। इन सेवाओं में पर्यावरण मंजूरी के आवेदन, संपत्ति कर तथा फैक्टरी लाइसेंस शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह पोर्टल निवेश प्रस्तावों को एक साथ मंजूरी देने का मंच है। औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग का कहना है कि केन्द्र सरकार की 12 तथा राज्य सरकारों की 24 सेवाओं को इस पोर्टल से संबद्ध करने की योजना है। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2015)**

1 जून से आपकी जेब काटेगी सेवा-कर की कैंची

आपकी जेब पर फिर मंहगाई की कैंची चलने वाली है। रेल व हवाई किरायों समेत तमाम सेवाओं के लिए ज्यादा बिल भरने के लिए तैयार रहिए। पहली जून से सर्विस टैक्स की बढ़ी दर लागू होने से न केवल रेलवे के फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित दर्जों के किराये बढ़ जाएगें, बल्कि, होटल, टेलिफोन, बिजली, दवा, होटल-रेस्टरां के बिलों तथा बीमा प्रीमियम के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करना पड़ेगी सर्विस टैक्स 12 से बढ़कर 14 फीसद हो जाएगा।

• रेलवे के फर्स्ट क्लास व एसी दर्जों के किराए बढ़ जाएंगे • अब एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5.94 फीसदी कर • होटल के कमरे 5000 के बदले मिलेंगे 5871 में • बैंकिंग सेवाएं होगी महंगी • रेस्टोरेंट में खाना महँगा • होटल में ठहरना महँगा • वाहनों की मरम्मत महंगी • रेल यात्रियों पर बोझ। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1.6.2015)**

बढ़ते एनपीए से चिंतित बैंक

बिहार में बैंकों में एनपीए का स्तर 5.77 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.84 फीसदी है।

बैंकों ने बिहार में गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बढ़ते स्तर पर गहरी चिंता जताई है। इस वक्त बिहार में एनपीए का स्तर 5.77 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बैंकों को इस मामले में पूरी मदद करने का भरोसा दिया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान बिहार में बैंकों ने 79, 420 करोड़ रुपये का ऋण दिया था और इसमें से 4,585 करोड़ रुपये की वसूली करने में असफल रहे थे। इस बारे में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (बिहार-झारखंड) अजीत सूद ने बताया, 'बिहार की प्रगति में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में हमने कृषि ऋण के लक्ष्य का 93 फीसदी हासिल किया। हमने पिछले वित्त वर्ष छोटे और मझोले उद्यमों को लक्ष्य से ज्यादा ऋण वितरित किया। हालांकि, इतनी उपलब्धियों के बीच खटकने वाली बात सिर्फ गैर निष्पादित आस्तियों का बढ़ता स्तर रहा, जो पिछले साल 5.77 फीसदी रहा। यह 4.84 फीसदी के राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। जो राज्य में वित्तीय स्थिति के गिरते स्तर का सूचक है। इस पर तुरंत लगाम कसने की जरूरत है। इस काम में हमें राज्य सरकार से भी सहयोग की जरूरत होगी।' भारतीय रिजर्व बैंक ने भी

राज्य में कर्ज वसूली की सुस्त होती रफ्तार पर अपनी चिंता जताई है।

आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड) मनोज कुमार वर्मा ने कहा, 'बैंकों ने राज्य में पिछले साल काफी अच्छा काम करते हुए ज्यादा ऋण वितरित किया। हालांकि ऋण वसूली पर भी ध्यान देना चाहिए। राज्य में बैंकों की वसूली की दर 61 फीसदी की है। अगर इसमें 550 करोड़ रुपये के ऐसे कर्ज को जोड़ दें, जिनकी वसूली अब नामुमकिन है, तो यह और बढ़ जाएगा। इस बारे में बैंकों को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।' **(साभार : बिज़नेस स्टैडर्ड, 22.5.2015)**

पाँच सालों में बिहार को मिलेगी 1943 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को अगले पाँच साल में कुल 1943 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी। यह राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए संचित राशि का 75 प्रतिशत है। इस राशि के साथ राज्यांश मद में 647.750 करोड़ रुपये दिया जायेगा। इस प्रकार आने वाले पाँच साल में आपदा प्रबंधन के लिए 2591 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा।

आपदा प्रबंघन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि आपदा की स्थिति में राशि कम पड़ने पर राज्य सरकार अपने बजट से राज्य के लोगों को मदद करती है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन केन्द्र सरकार द्वारा कराया जाता है।

आने वाले पाँच सालों में मिलनेवाली राशि (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
2015-16	351.750	117.250	469.00
2016-17	369.00	123.00	492.00
2017-18	387.750	129.250	517.00
2018-19	407.250	135.750	543.00
2019-20	427.500	142.500	570.000
कुल	**1943.250**	**647.750**	**2591.00**

जून के पहले सप्ताह में चक्रवाती तूफान से हुई क्षति का केन्द्रीय टीम द्वारा आकलन किया जायेगा। केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा पूर्णिया, कटिहार समेत वैसे सभी जिलों में केन्द्रीय टीम के सदस्य स्थल निरीक्षण की क्षति का आकलन करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार चक्रवाती तूफान से हुई क्षति का ब्योरा इस प्रकार है।

• **प्रभावित जिले :** पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल • **पीड़ित परिवार :** 192212 • **मानव क्षति :** 57 • **घायलों के उपचार पर खर्च :** 1.27 लाख रुपये • **गृह क्षति :** 129515 • **गृह क्षति के लिए अनुदान वितरण** • 783.705 लाख रुपये

आपदा के तुंरत बाद मुफ्त सहायता : • **अनाज :** 84162 क्विंटल • **मुफ्त सहायता (राशि के रूप में) :** 7113.52 लाख **(साभार : प्रभात खबर, 30.5.2015)**

बिहार में सात-आठ साल में विकास ने पकड़ी रफ्तार

20 साल तक बनी रही यही रफ्तार, तब विकसित होगा बिहार : डॉ अरविन्द सुब्रह्मण्यम

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अरविन्द सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बिहार में पिछले 7-8 साल के दौरान अर्थव्यवस्था की रफ्तार अच्छी रही है। अगर यही रफ्तार 20 साल तक बनी रही, तभी बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। हालांकि, बिहार को विकास के रास्ते में आनेवाली अपनी मौजूदा समस्याओं या रुकावटों से बेहद संघर्ष करने की जरूरत है। इन बड़ी अड़चनों में गरीबी, भूखमरी, कम शिक्षा दर और मुद्दे शामिल हैं। आद्री की सहयोगी संस्था आइजीसी की ओर से होटल मौर्या में आयोजित आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के एक दिवसीय आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियां और संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि 2015 में देश की विकास दर 8.1 से 8.5 के बीच रहने की संभावना है।

आर्थिक सर्वेक्षण में अब पर्यावरण का चैप्टर भी : आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में इस बार नौ चैप्टर हैं। पहली बार पर्यावरण सर्वे पर भी एक चैप्टर जोड़ा गया है। पर्यावरण की चिंता को उजागर करने के लिए यह पहल की गयी है। डॉ सुब्रह्मण्यम ने कहा कि चीन में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा छोटे निकायों के चुनाव में भी बेहद प्रमुखता से उठाया जाता है, जबकि हमारे देश में यह राष्ट्रीय मुद्दा भी नहीं है। यह बेहद चिंता की बात है। पर्यावरण संतुलन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, तभी विकास की सही गति को प्राप्त किया जा सकता है। **(प्रभात खबर, 30.5.2015)**

संगठनों व प्रबंधन के बीच समझौते के बाद अब जुलाई से दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहेंगे बैंक

बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बैंक प्रबंधन के समझौते के बाद देश में अब बैंक की शाखाएं जुलाई महीने से दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगी । इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के चेयरमैन टी. एम. भसीन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही इस प्रस्ताव (छुट्टी) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट ऐक्ट के तहत इस सिलसिले में अधिसूचना के जरिये बदलाव की घोषणा करेगी।

यह प्रक्रिया पूरी होने में करीब 3 से 4 सप्ताह का वक्त लगेगा। इंडियन बैंक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक भसीन ने कहा कि पहले वे तीसरे शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस होगा। बैंकरों को कहना है कि वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं जैसे एटीएम, बिक्री केन्द्र, इंटरनेट बैंकिंग आदि सेवाओं से बैंक उपभोक्ता आसानी से शनिवार को भी सेवाएं ली जा सकती हैं। ऐसे में छूट्टी होने से बहुत मामूली असुविधा होगी।

(साभार : बिज़नेस स्टैडर्ड, 26.5.2015)

देश में 45% नौकरियां बढ़ेंगी

सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' का असर

उद्योग संगठन फिक्की ने कहा कि सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' के जोर पकड़ने से रोजगार में 40 से 45 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।

फिक्की के एक कार्यक्रम में यहाँ संगठन के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ बिड़ला ने रोजगार सृजन के मोर्चे पर मोदी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि का आकलन पेश करते हुए कहा कि सरकार के 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम के तहत लोगों का कौशल विकास होने और 'मेक इन इंडिया' के पूर्ण रूप से लागू होने से अगले कुछ वर्षों में रोजगार में 45 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

उम्मीदें बढ़ीं : • उद्योग संगठन फिक्की ने रोजगार में बढ़ोतरी का यह अनुमान लगाया है • इस्पात, सीमेंट और विनिर्माण से जुड़े अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे • सरकार नौकरियां बढ़ाने के लिए कौशल विकास के पर्याप्त उपाय कर रही है • **3.5** करोड़ कुशल कर्मचारियों की देशभर में जरूरत होगी • **56%** कंपनियों को आईटी क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन की उम्मीद • **20** नई नौकरियां पैदा कर सकता है बैंकिंग क्षेत्र 5-10 साल में

गलत कर्मियों की नियुक्ति से नुकसान : एक संगठन में गलत व्यक्ति की नियुक्ति, उसकी सालाना तनख्वाह से पांच गुना अधिक भारी पड़ती है। इसलिए, कंपनियों को कारोबारी जोखिम कम रखने के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सोसाइटी फॉर हयूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक संगठन में प्रत्येक कर्मचारी का कंपनी की संस्कृति एवं उसकी सफलता पर बड़ा प्रभाव होता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.5.2015)**

मास्टर प्लान आने तक पुराने बाइलॉज पर पास हो नक्शा

बिल्डरों ने कहा, नक्शा पारित होने का काम रुकने से शहर का विकास रुक गया है

जब तक मास्टर प्लान नहीं आ रहा है तब तक नए बिल्डिंग बाइलॉज से भवनों का नक्शा पारित होना संभव नहीं है। ऐसे में जबतक मास्टर प्लान नहीं आ जाता है तबतक पुराने बाइलॉज और मास्टर प्लान के आधार पर ही भवनों का नक्शा पारित होना चाहिए। नक्शा पारित होने का काम रुकने से शहर का विकास रुक गया है। ये कहना राज्य के कुछ बिल्डरों और उनके संघ का।

नेशनल बिल्डर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि नए बाइलॉज की सार्थकता तब है जब मास्टर प्लान आए। मास्टर प्लान से ही सड़कों की स्थिति की सही जानकारी हो पाएगी। कहा, जबतक मास्टर प्लान नहीं आता पुराने बाइलॉज से नक्शा पारित हो। नेशनल बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मणिकांत सिंह ने कहा कि नए बाइलॉज के आधार पर भी नक्शा पारित होने का काम शुरू हो

सकता है। सरकार को सिर्फ शहर का पुराना और नया एरिया चिन्हित करना है। सितम्बर-अक्टूबर में चुनाव और इसके परिणाम भी नक्शा पारित करने के काम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जल्द नक्शा पारित हो। (हिन्दुस्तान, 22.5.2015)

केन्द्र की मदद से शुरू होगी 20 हजार करोड़ रुपये की नयी प्रोजेक्ट

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक दिवसीय पटना दौरे पर कहा कि बिहार को लगभग 20 हजार करोड़ रु० के नये प्रोजेक्ट इसी साल शुरू किये जायेंगे।

एनएचएआई की नयी योजना

प्रोजेक्ट	लंबाई	खर्च
महेशखुंट-सहरसा-पूर्णिया एनएच-107 को दो लेन किया जायेगा	171 किमी	1000 करोड़
एनएच 102 के छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फपुर	73 किमी	358 करोड़
एनएच 82 के बिहारशरीफ, बरबीघा-मोकामा पथ	55 किमी	265 करोड़
एन एच 527 सी के मंझौली-चिरोत	65 किमी	7000 करोड़
कुल खर्च	**364 किमी**	**2323 करोड़**

सड़क परिवहन मंत्रालय की नयी योजना

प्रोजेक्ट	लंबाई	खर्च
फतुहा-हरनौत (एनएच 30 ए)	71.80 किमी	591.20 करोड़
बीरपुर-मधेपुरा (एनएच 106)	105.20 किमी	573.3 करोड़
शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर-नरहिया (एनएच 104)	179.95 किमी	712.61 करोड़
कुल	**365.95 किमी**	**879.15 करोड़**

केन्द्र की बिहार के लिए भविष्य की योजना

साहेबगंज के पास गंगा नदी पर पुल और एनएच 80-81 को चार लेन का सड़क बनाने व कटिहार-पूर्णिया सेक्शन के एनएच 131 ए पर 2250 करोड़ रुपये खर्च कर निर्माण होगा। वहीं चार लेन का एनएच 31 स्थित किशनगंज बायपास (20 किमी) पर 250 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा।

पुल ओवर ब्रिज योजना

प्रोजेक्ट	लंबाई	खर्च
जायका के सहयोग से महात्मा गाँधी सेतु के उपरी संरचना	5.6 किमी	2800 करोड़
गाँधी सेतु के समानांतर पुल	5.6 किमी	5000 करोड़
कोसी नदी पर एनएच 106 पर 106 किसी से 136 किमी पर एनएच पर 12 आरओबी	6 किमी	3000 करोड़
कुल	**37.2 किमी**	**11700 करोड़**

(साभार : प्रभात खबर, 27.5.2015)

नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ चैम्बर के सदस्य बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु चेक समर्पित

माननीय मुख्यमंत्री को चेक समर्पित करते हुए बीसीडीए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

चैम्बर के सदस्य बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन ने अपने विभिन्न जिला संगठनों द्वारा नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु भेजे गये 8,94,952/- रुपये का चेक/ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिनांक 17 मई, 2015 को समर्पित किया। चेक समर्पित करने गये प्रतिनिधिमंडल में बी०सी०डी०ए० के संरक्षक, श्री उत्पल कुमार सेन, महासचिव, श्री अमरेन्द्र कुमार, संगठन सचिव, श्री बलिराम शर्मा, जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह एवं पटना केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार यादव उपस्थित थे।

चैम्बर की ओर से इस पुनीत कार्य हेतु बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन को हार्दिक धन्यवाद।

विनम्र निवेदन

अधिकांश माननीय सदस्यों ने चैम्बर का सदस्यता शुल्क 2015-16 का भुगतान कर दिया है। परन्तु कुछ सदस्य अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हैं। अत: उनसे विनम्र निवेदन है कि सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें। सेवा शुल्क 1 जून 2015 से 14 प्रतिशत की दर से प्रभावी हो गया है। अत: 14 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क जोड़ कर ही सदस्यता शुल्क भेजें।

पटना के बैरिया में कचरा से बिजली का उत्पादन

कचरा से बिजली बनाने की योजना साकार होने की राह पर है। नगर विकास विभाग से यूनिट बनाने का करार कर चुकी मुम्बई की कंपनी पटना ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बैरिया में कचरा से 11.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। कंपनी ने दो साल में यूनिट तैयार होने का दावा करते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष बिजली दर निर्धारित करने की याचिका दायर की है।

क्या होगा फायदा : • 50 हजार लोगों को मिलेगी बिजली • 73 मेगावाट बिजली पूरे बिहार के कचरा से पैदा हो सकती है • कचरामुक्त होगा पटना, खगौल, दानापुर, फुलवारी व फतुहा • **एक नजर में योजना :** • **यहाँ बनेगा :** पटना-गया सड़क के रामचक बैरिया • **कंपनी :** पटना ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई • **कब बनेगा :** अधिकतम दो साल में • **लागत राशि :** 228 करोड़ 79 लाख • **यहाँ से निकलता है कचरा :** 1001 टन हर रोज • **बिजली उत्पादन में खपत :** 600 टन कचरा हर रोज।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.6.2015)

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296